## दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की 9 अक्टूबर, 2014 को 3:00 बजे राज निवास, दिल्ली में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
   उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री बलविंदर कुमार

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

4. श्री अभय सिन्हा,
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

5. श्री डी.एस.मिश्रा
   अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
   भारत सरकार

6. श्री जितेन्द्र कुमार कोचर

सचिव

श्री बृजेश कुमार मिश्रा
आयुक्त एवं सचिव

विशेष आमंत्रित सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी

1. श्रीमती नूतन गुहा बिस्वास,
   उपराज्यपाल, दिल्ली की प्रधान सचिव
2. श्री राजेन्द्र कुमार,
   सचिव (यूडी), रा.रा. क्षे., दिल्ली सरकार
3. श्री टी. श्रीनिधि
   प्रधान आयुक्त (आवास, एलडी और सीडब्ल्यूजी), दि.वि.प्रा.

4. श्री दयानंद कटारिया
   प्रधान आयुक्त (एलएम, कार्मिक एंड सिस्टम्स), दि.वि.प्रा.
5. श्री सुनील कुमार गुलाटी
   मुख्य सतर्कता अधिकारी दि.वि.प्रा.
6. श्रीमती स्वाति शर्मा,
   उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव
7. डॉ सिम्मी मल्होत्रा
   उपराज्यपाल, दिल्ली की सलाहकार (मीडिया, शिक्षाविद्, कला, संस्कृति और भाषा)
8. श्री आर.एन.शर्मा
   उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव
9. श्री अजय चौधरी
   उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी
10. श्री जे.बी.क्षीरसागर
    मुख्य नियोजक, टीसीपीओ
11. श्री एस.एन.गुप्ता
    आयुक्त (एलएम/आईएल), दि.वि.प्रा.
12. श्री आर.के.जैन
    आयुक्त (योजना),दिविप्रा
13. श्री शमशेर सिंह
    मुख्य नगर नियोजक, एसडीएमसी और एनडीएमसी
14. श्री सुनील मेहरा
    मुख्य नगर नियोजक, ईडीएमसी
15. श्री अनिल कुमार शर्मा
    मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.
16. श्री एस.पी. पाठक
    अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.
17. श्री विनोद साकले
    निदेशक (योजना) रोहिणी, दि.वि.प्रा.
18. डॉ के. श्रीरंगन
    निदेशक, यूटीपेक, दि.वि.प्रा.
19. श्रीमती नीमो धर
    सलाहकार (पीआर), दि.वि.प्रा.

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली / अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

**मद सं. 139/2014**

दिनांक 19.09.2014 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

एफ.2(2)/2014/एमसी/डीडीए

दिनांक 19.09.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

**मद सं. 140/2014**

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 21.08.2014 को राज निवास में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।

एफ.2(3)2014/एमसी/डीडीए

एजेंडा मद संख्या 114/2014, पर अर्थात 11/06/2014 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में सलाहकार समूह की सिफारिशें योजना की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में एमपीडी - 2021 में संशोधन" को प्राधिकरण के समक्ष 21.8.2014 को आयोजित बैठक में रखा गया। यह निर्णय लिया गया कि सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी आवश्यक प्रावधान का मसौदा तैयार करने में डीडीए की सहायता कर सकते हैं। तथापि, बैठक के कार्यवृत्त की एटीआर ने इस संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। वास्तव में, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी के एनसीआरपीबी के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए इस संबंध में उपाध्यक्ष, डीडीए को दिनांक 28/08/2014 के विस्तृत डीओ पत्र की पहले ही पुष्टि कर दी थी।

दिल्ली की क्षेत्रीय उप-योजना, एनसीआरपीबी के अनुसार होनी चाहिए और इन दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष, डीडीए इन महत्वपूर्ण मुद्दों का सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी के साथ शीघ्र समाधान करेंगे।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21.8.2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया।

**मद संख्या 141/2014:**

**18.02.2014 को आयोजित उनकी 12वीं बैठक में सलाहकार समूह द्वारा अनुशंसित एमपीडी - 2021 से संबंधित संशोधन का आशोधन और अद्यतन करना।**

**एफ.20(15)/2014 - एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

**मद संख्या 142/2014:**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जोन-एफ में 25.23 हेक्टेयर (62.35 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग में परिवर्तन।

एफ.20 (01)/2014 - एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

**मद संख्या 143/2014:**

सी-2 जनकपुरी (डाबडी मोड़) में पॉकेट -1 (5215.51 वर्ग मीटर) और पॉकेट - 2 (2541.90 वर्ग मीटर) के भूमि उपयोग को दिल्ली के एमआरटीएस फेज II, जनकपुरी (पश्चिम), बॉटनिकल गार्डन कॉरिडोर की लाइन 8 का 'मनोरंजनात्मक (पी 2 जिला पार्क)' से परिवहन (टी3 - एमआरटीएस सर्कुलेशन) में परिवर्तन ।

**एफ.20 (2) 2013/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या 144/2014:**

(1) औद्योगिक क्षेत्र, रानीखेड़ा, रोहिणी, पीएच-V में 8.00 हेक्टेयर (20 एकड़) की भूमि के लिए "औद्योगिक" से "परिवहन" (टी - 2 बस डिपो) में भूमि उपयोग का परिवर्तन ।

(2) औद्योगिक क्षेत्र, रानीखेड़ा, रोहिणी, पीएच.- V में 6.47 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क के लिए भूमि उपयोग का "औद्योगिक" से "परिवहन" (टी-3 सड़क) में परिवर्तन।

**एफ.20 (14)/2014/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या 145/2014 :**

**योजना संवर्ग के भर्ती विनियमों में संशोधन।**

एफ.7(56)2010/पीबी-1/पार्ट-1

प्रधान आयुक्त (एलएम, कार्मिक, एवं सिस्टम), दि.वि.प्रा. ने एजेंडा मद का उल्लेख किया।

यह नोट किया गया था कि इस एजेंडा मद के संबंध में फाइल पर उनकी टिप्पणियों/प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

अपर सचिव, एमओयूडी ने टिप्पणी की, कि भर्ती नियमों को तैयार करते समय डीओपीटी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों को भी उठाया: -

(i) पृष्ठ 79, क्रम सं. नंबर 2, कॉलम 4 : वाक्य "कार्यभार आधार पर भिन्नता के अधीन" को हटाने की जरूरत है।

(ii) पृष्ठ 81, क्रम सं. 13, कॉलम 4 : डीपीसी का गठन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

(iii) पृष्ठ 89-90, क्रम सं. 12, कॉलम 4 : विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रतिशतता का भी विशेष रूप उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iv) पृष्ठ 99-100, क्रम सं. 12, कॉलम 4 : सेवा और रेसीडेंसी की अवधि दोनों को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

(v) पूरे एजेंडा आइटम में वही त्रुटियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है।

यह भी बताया गया कि प्रस्तावित एजेंडा मद में नियमों में छूट देने की शक्ति प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की गई है, हालांकि इस संबंध में वर्तमान में आरआर की शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार योजना संवर्ग के आरआर में संशोधन के लिए एक विस्तृत कार्रवाई प्रोफेशनल तरीके से की जानी चाहिए।

विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए की वह प्राधिकरण के समक्ष निर्णय से पहले एजेंडा की पुन: जांच करें और पुन: प्रस्तुत करें।

**<u>मद संख्या 146/2014:</u>**

स्कूल के प्लॉटों और पार्किंग के बारे में एमपीडी-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

**एफ.9(11)1999/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

**<u>मद संख्या 147/2014</u>** :

प्लॉनिंग जोन-डी में आने वाली सुंदर नर्सरी, हुमायूं के मकबरे के पास, नई दिल्ली के संबंध में 170000 वर्गमीटर क्षेत्रफल (17.0 हेक्टेयर) के भूमि उपयोग में 'कृषि/हरित पट्टी एवं जलाशय (पौध नर्सरी)' से 'मनोरंजक (जिला पार्क)' तक प्रस्तावित परिवर्तन।

**एफ.20(23)2014/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

**<u>मद संख्या 148/2014:</u>**

**दंड राहत योजना - 2014 का विस्तार ।**

**एफ.22 (246) 2014 / समन्वय (एच)/लेखा**

यह नोट किया गया कि डीडीए को (i) लंबित चूककर्ताओं की संख्या और बकाया राशि तथा (ii) डीडीए उन चूककर्ताओं, जो 31/12/2014 के बाद भी लंबित हैं, के संबंध में क्या कार्रवाई करना चाहता है, को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए।

उपरोक्त संशोधनों के साथ, एजेंडा मद को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया ।

**मद संख्या 149/2014 :**

**प्लानिंग जोन-डी में आने वाली पॉकेट-III, राउज एवेन्यू, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में स्थित 1015 वर्ग मीटर क्षेत्रफल (0.1015 हेक्टेयर) के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं' तक प्रस्तावित परिवर्तन ।**

**एफ.20(22)2014/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया ।

**मद संख्या 150/2014:**

(ए) ग्रुप हाऊसिंग प्लॉटों के निपटान के लिए नीति और
(बी) वरिष्ठ नागरिक सर्विस अपार्टमेंट का निर्माण।

**एफ.पीएस/पीसी(एलडी)/डीडीए/2014**

निदेशक (योजना) रोहिणी, डीडीए ने इस एजेंडा मद के बारे में बताया और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया।

उपाध्यक्ष, डीडीए ने आगे बताया कि डीडीए निजी डेवलपर्स की मदद से पहली बार वृद्धाश्रमों का निर्माण करेगा।

इस संकल्पना की सराहना की गई थी लेकिन यह टिप्पणी की गई कि वरिष्ठ नागरिक सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण तथा ग्रुप हाऊसिंग प्लाटों के निपटान के लिए डीडीए द्वारा "सैद्धांतिक" अनुमोदन नहीं मांगा जाना चाहिए।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने "सैद्धांतिक" अवधारणा को मंजूरी दी और संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय के लिए इसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले परियोजना के संचालन के तौर-तरीकों और विवरणों पर काम कर लिया जाए।

**मद संख्या 151/2014:**

डीडीए चिकित्सा सहायता नियमों में परिभाषित अनुसार सेवारत डीडीए कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और उनके आश्रितों के हित लाभ के लिए कर्मचारी हित लाभ कोष बनाना।

**एफ.9(1)2013/वेलफेयर/एपीओ**

प्रधान आयुक्त (एलएम, कार्मिक और प्रणाली), डीडीए ने इस एजेंडा मद के बारे में बताया। अपर सचिव, एमओयूडी ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

(i) पैरा 5 डी) - 'प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं' के अस्पष्ट विवरण का उल्लेख करने के बजाय, सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले संस्थानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

(ii) पैरा 6 और 11- पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के संबंध में एक विरोधाभास है, क्योंकि पैरा 6 में, उन्हें लाभ दिया गया है, जबकि पैरा 11 में, केवल सेवारत कर्मचारियों को ही इस फंड का सदस्य बनने की अनुमति दी गई है।

(iii) पैरा 8 - बिना कोई आवंटन की प्रतिशतता का उल्लेख करते हुए निधि के आवंटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(iv) पैरा 17 - खाता या एफडी खाता खोलते समय, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एजेंडा मद के पैरा 4 (ए) का दूसरा वाक्य, अर्थात "अपवादात्मक मामलों में, यहां तक कि डीडीए कर्मचारी के परिवार के एक गैर-पात्र सदस्य पर भी शासी निकाय के अनुमोदन से सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जा सकता है" को निकाल दिया जाना चाहिए। चूंकि यह प्रावधान कर्मचारी लाभ निधि योजना के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।

विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव की पुन: जांच की जाए और प्राधिकरण के समक्ष फिर से रखा जाना चाहिए।

**मद संख्या 152/2014:**

प्लॉनिंग जोन - डी में आने वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्लॉट संख्या 10-बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली की प्रस्तावित कार्यालय बिल्डिंग के संबंध में 0.49 हेक्टेयर (1.20 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (सामाजिक-सांस्कृतिक) से सरकारी (सरकारी कार्यालय) में प्रस्तावित परिवर्तन।

**एफ.20(04)2014/एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया ।

अन्य मुद्दें :

1 श्री जितेंद्र कुमार कोचर ने कहा कि खिड़की गांव के पास बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण चल रहा है और कुछ लोगों ने डीडीए अधिकारियों से मिलीभगत कर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है।

क) माननीय उपराज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लिया और उपाध्यक्ष, डीडीए को इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

ख) उपाध्यक्ष, डीडीए ने आयुक्त (एलएम) को व्यक्तिगत रूप से साइट का दौरा करने और तत्काल इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

2. श्री जितेंद्र कुमार कोचर ने आगे शिकायत की कि हाल ही में डीडीए ने कालकाजी स्थित एक पार्क में दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति दी है जिसके परिणामस्वरूप पार्क की काफी क्षति हुई है।

आश्वासन दिया गया कि मामले की जांच कराई जाएगी।

3. माननीय उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि वसंत कुंज में जैव विविधता पार्क की स्थिति में सुधार करने और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

यह आश्वासन दिया गया कि मामले की जांच कराई जाएगी।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।